International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 24-09-2021, Accepted: 09-10-2021, Published: 25-10-2021
Volume 7, Issue 5, 2021, Page No. 93-95

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के 15 वर्षः उपलब्धियों एवं चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन

कविता पाण्डेय
शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
वर्तमान युग सूचना का युग है। सूचना का संतुलित प्रयोग, प्रचार तथा प्रसार लोकतंत्र को अधिक कुशल, पारदर्शी तथा जनोन्मुखी बनाता है। लोकतंत्र का सामान्य अर्थ 'जनता का शासन' होता है। सूचना के अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है।
यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरुक करने की दिशा में बड़ा कदम है। इस शोध पत्र का उद्देश्य पिछले 15 वर्षों में सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन का परीक्षण करना है ताकि भविष्य में सूचना का अधिकार अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतया सफल हो सके।

मूल शब्दः सूचना, सूचना का अधिकार, नागरिक केंदित प्रशासन

प्रस्तावना
भारत में सूचना के अधिकार ने अपने 15 वर्षों के सफर में सहभागी लोकतन्त्र का सही अर्थ समझाया है। यह वर्ष विश्वभर में सूचना के अधिकार का 254वाँ जन्मशताब्दी वर्ष एवं भारत में सूचना के अधिकार की 16वीं जन्मशताब्दी के रूप में मनाया जा रहा है। भारत में सूचना के अधिकार हेतु आन्दोलन सहभागितामूलक लोकतंत्र का अनोखा एवं शानदार अनुभव है। इस अधिनियम के आने के बाद सुशासन के तीन प्रमुख घटकों जवाबदेहिता, पारदर्शिता तथा सहभागिता के सपने को साकार करने में निश्चय ही लाभ प्राप्त हुआ है। आज ग्रामीण भारत में लोग अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए आर0टी0आई0 के माध्यम से बड़ी मात्रा में शिकायत दर्ज कराते हैं जिससे पता चलता है कि जनता के लिए यह अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने का कारगर हथियार है। यह भी एक सत्य है कि अभी भी सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन में अनेक खामियाँ बनी हुई हैं। आर0टी0आई0 के पालन को लेकर जारी वैश्विक रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान से फिसलकर वर्ष 2018 में सातवें पायदान पर पहुँच गया है। इससे वर्तमान में एक्ट की सार्थकता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं।
इस शोध पत्र का उद्देश्य पिछले 15 वर्षों में सूचना के अधिकार के कार्यान्वयन का परीक्षण करना है ताकि भविष्य में सूचना का अधिकार अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में पूर्णतया सफल हो सके।

शोध प्रविधि
प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी द्वारा ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से 'सूचना के अधिकार' के इतिहास को आधार बनाकर विवेचन किया गया है और इस लैंडमार्क एक्ट के बनने के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। आगमनात्मक पद्धति के द्वारा विशेष नियमों से सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण जिसमें आर0टी0आई0 के स्वरूप व प्रभाव का विवेचन किया गया है। शोधार्थी ने द्वितीयक स्रोतों से तथ्य संकलित करके संख्यात्मक पद्धति के माध्यम से आर0टी0आई0 की कार्यपद्धति, उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

सूचना का अधिकार
सूचना प्राप्ति का अधिकार किसी भी देश के नागरिकों के लिए एक शक्तिशाली हथियार की भांति है। यह स्वस्थ एवं जीवंत प्रजातंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण है। 2005 में निर्मित सूचना का अधिकार अधिनियम भारत देश के नागरिकों को सरकारी नीतियों एवं इसके क्रियान्वयन से संबंधित जानकारियों को साझा करने को प्रेरित करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–2(ञ) के अनुसार 'सूचना का अधिकार' का अभिप्राय एक नागरिक के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम अधीन पहुँच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, की माँग करना है और उसे कृति, दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण जिसमें दस्तावेज पाण्डुलिपि संचिकाएँ और कोई इलेक्ट्रानिक दस्तावेज शामिल हैं, टिप्पणी प्राप्त करना, दस्तावेजों और अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिन्ट आउट से सूचना को, जहाँ ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति से भण्डारित है, को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण वाद के दौरान कही गई जस्टिस मैथ्यू के अनुसार,

> "जहाँ सरकार जवाबदेही व उत्तरदायित्व पर आधारित होती हैं वहां सभी सरकारी पदाधिकारियों को अपने आचरण के लिए जवाबदेह होना होगा हमारे देश के प्रत्येक नागरिक सार्वजनिक विधि एवं क्रियाकलापों को जानने का अधिकार रखते हैं।"

सूचना का अधिकार राष्ट्रीय आंदोलन बनकर उभरा है तथा यह अधिकार संबंधी सभी दृष्टिकोणों का प्रमुख बनकर सामने आया है जैसे रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार तथा त्वरित न्याय प्राप्ति का अधिकार इत्यादि विषयों पर आई.टी.आई. के महान आंदोलन से प्रेरणा मिलती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, लोक शिकायत निवारण तंत्र, लोकपाल तथा लोकायुक्त, व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, ज्यूडिशियल अकाउंटिबिलिटी बिल आदि मिलकर प्रशासन को पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाते हैं।

सूचना के अधिकार की प्रमुख उपलब्धियाँ

ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक वर्ष 4.6 मिलियन[1] आर0टी0आई0 आवेदन किये जाते हैं। यह कानून व्यापक स्तर पर सरकारों तथा प्राधिकरणों, आवश्यक सेवाओं और बुनियादी अधिकारों के लिए जवाबदेह बनाता है तथा इसका इस्तेमाल देश के उच्च प्राधिकरणों को भी उनके कार्य निष्पादन तथा निर्णयों तथा चरित्र के प्रति उत्तरदायी बनाता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम की चुनौतियाँ

- यह अधिनियम आम लोगों को प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, किंतु निरक्षरता और जागरूकता की कमी के कारण भारत में अधिकांश लोग इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।
- कई लोग मानते हैं कि इस अधिनियम में प्रावधानों का उल्लंघन करने की स्थिति में जो जुर्माना/दंड दिया गया है वह इतना कठोर नहीं है कि लोगों को इस कार्य से रोक सके।
- इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त जन जागरूकता का अभाव, सूचनाओं को संग्रहीत करने और प्रचार–प्रसार करने हेतु उचित प्रणाली का अभाव, सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की अक्षमता और नौकरशाही मानसिकता आदि को सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में बड़ी बाधा माना जाता है
- अपने 15 वर्षों के अनुभव में सूचना के अधिकार को अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा है। आर0टी0आई0 कानून के आने के बाद जितनी अधिक अपेक्षाएँ थी उतनी पूरी नहीं हो सकी तो इसका कारण विविध प्रकार की समस्याएँ हैं जिसका अध्ययन एवं विश्लेषण अनिवार्य है।
- समय–समय पर विभिन्न प्रतिवेदनों के माध्यम से आर0टी0आई0 के क्रियान्वयन में कमियाँ उजागर होती रहती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ब्यूरो के एक आलेख के अनुसार 2005 से 2016 तक 1.75 करोड़ आर0टी0आई0 आवेदन लम्बित हैं। प्रतिदिन 4800 आवेदन किए जाते हैं जिनका निस्तारण समय पर नहीं हो पाता। कॉमनवेल्स ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2017 के मध्य 2.17 करोड़ आर0टी0आई0 आवेदन लम्बित हैं जबकि यह ध्यातव्य रहे कि भारत में आर0टी0आई0 आवेदन इसकी जनसंख्या का एक बहुत छोटा हिस्सा ही करता है। सतर्क नागरिक संगठन तथा सेंटर ऑफ इक्विटी स्टडीज की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में 83054 शिकायतें लम्बित हैं। स्पष्ट है कि इतने मामलों को निपटाने में सालों–साल लग जायेगें।
- लगभग सभी राज्यों में सूचना आयुक्त के पद खाली हैं। यहाँ तक कि केन्द्रीय सूचना आयुक्त में भी पद खाली होते हैं। 2015 के एक आँकड़े के अनुसार 142 पद के सापेक्ष 111 सूचना आयुक्त ही थे। सूचना आयुक्त के पद को भरने में एक्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता
- सूचना के अधिकार को लेकर जनता में कम जागरुकता है। इसके पीछे अनेक कारण हैं जैसे शिक्षा तथा सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि। ग्रामीण लोगों के लिए इसकी प्रक्रिया सरल नहीं है। वे बिना सहयोग के आवेदन करने में सक्षम नहीं होते हैं।
- आर0टी0आई0 एक्ट का गलत प्रयोग।
- सूचनाओं तथा अभिलेखों का अव्यवस्थित वर्गीकरण तथा प्रबंधन।

[1]'रिपोर्ट कार्ड ऑफ इन्फार्मेशन कमीशन इन इण्डिया'', सतर्क नागरिक संगठन '(छै) सेंटर ऑफ इक्विटी स्टडीज (बै), (2018–19)

आलोचनात्मक मूल्यांकन

सूचना के अधिकार अधिनियम के 15 साल पूरे होने के मौके पर ट्रांसपेरेंसी इण्टरनेशनल इण्डिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कम से कम 3.33 करोड़ आवेदन दायर हुए हैं। सूचना का अधिकार लगातार विकसित हो रहा है और अपने उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेहिता और नागरिक सशक्तिकरण में सफल भी हुआ है। आर0टी0आई0 के द्वारा गोपनीयता की संस्कृति का अन्त हुआ है एवं प्रशासनिक जवाबदेही तथा उत्तरदायित्व में बढ़ोत्तरी हुयी है। सूचना का अधिकार अधिशासन सुधारने के लिये आवश्यक है, किंतु पर्याप्त नहीं। अधिशासन में जवाबदेही पैदा करने की ज़रूरत है, जिसमें भेद खोलने वालों को संरक्षण प्रदान करना, शक्ति का विकेंद्रीकरण और सभी स्तरों पर जवाबदेही के साथ प्राधिकार का प्रसार शामिल है। फिर भी इस कानून से हमें अधिशासन की प्रक्रिया पर विशेष रूप से आधारभूत स्तर, जहाँ नागरिकों की अन्योन्य–क्रिया अधिकतम होती है, पर फिर से गौर करने का बहुमूल्य अवसर प्राप्त होता है। अधिनियम को सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेहिता जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लाया गया था, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तंत्र की विफलता के कारण यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। यह आवश्यक है कि सरकार तथा नागरिक संस्थानों को मिलकर अधिनियम को और अधिक मज़बूत करने का प्रयास करना चाहिये, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के साथ लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी।

निष्कर्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की दिशा में एक क्रन्तिकारी कदम है। पिछले पंद्रह वर्षो में आर टी आई ने सामान्य जनमानस को आत्मविश्वास दिया है कि उन्हें अपने हक़ के बारे में जानने समझने और उसे पाने का पूरा अधिकार है दैनिक स्तर पर ऐसे आवेदन किये जाते है जहा जनता की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे सड़क बिजली पानी पेंशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली कोई प्रमुख प्रमाण पत्र से सम्बंधित आवेदन किये जाते हैं और न जाने कितने गरीब वंचित लोगों को उनका हक़ मिलता हैं। निश्चित रूप से आर टी आई ने हमे सशक्त और मजबूत बनाया हैं किन्तु अभी आर टी आई को बहुत लम्बा सफ़र तय करना हैं ताकि इसका वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. Bhadauria Sanjiv. "Right to Information: Pros and Cons" Research gate, 2017, 13(6).
2. Carvalho Ana. "Freedom of Information and the Right to Environmental Protection", Centre for International Governance innovation, Canada, 2015.
3. Cheten A. "Right to Information: A tool for combating corruption in India". Journal of Management and Public Policy, 2012, 3(3).
4. CHRI. "The use of Right to Information Laws in India : A Rapid Survey", Commonwealth Human Right initiative, New Delhi, October, 2013
5. Dharnesha S, 2015.
6. Jha Himanshu. "Emerging Politics of Accountability", EPW, 2018, 10.
7. Laskar Shahina Mumtaz. "Importance of Right to Information for good governance in India", Bharti Law Review, October-December, 2016
8. M Gopi. "Right to Information Act in India (An Overview)" Journal of Political Science and Public Affairs, 2016.
9. Roy Aruna. "RTI Kaise Aayi", Sarthak Rajkamal Prakashan, New Delhi, 2018.

10. https://www.hindustantimes.com/india-news/15-years-of-rtione- third-of-information-commissions-headless-misuse-an-obstacle/story-LHcDDpQTm3z4Om7rQazKcP.
11. https://thewire.in/rights/rti-act-15-years https://www.thehindu.com/news/national/at-15-rti-act-crippled-by-rising-backlog/article32827394.ece